आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 343/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक शाखा एस.आर.एल.बी. जगतपुरा, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

(1) प्रभू दयाल धानका पुत्र श्री सुल्तान धानका
पता– प्लाट नं॰ एस–226, महेश नगर, एस ब्लॉक, शिव मन्दिर के पास, जयपुर ।

(2) सांवर मल धानका पुत्र श्री प्रभू दयाल धानका
पता– (अ) प्लाट नं॰ 226, महेश नगर, एस ब्लॉक, शिव मन्दिर के पास, जयपुर ।
(ब) प्लाट नम्बर 193, सूर्यानगर, गोपालपुरा, जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :– श्री संजय सिंह राणावत अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश दिनांक 15.04.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29/11/2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी प्रभू दयाल धानका पुत्र श्री सुल्तान धानका के स्वामित्व का जेडीए पट्टा नं॰ 2188, प्लाट नं॰ एस–226, महेश नगर, एस ब्लॉक, शिव मन्दिर के पास, जयपुर क्षेत्रफल 50 वर्गगज को बन्धक कर राशि 13,00,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 04/02/2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति व इससे सम्बन्धित दस्तावेजात का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की अनुरोध किया है।

मजिस्ट्रेट
टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी प्रभू दयाल ने दिनांक 23.02.2021 को उपस्थित हो कर ऋण खाता बन्द कराने हेतु एक माह का सहय चाहा।

3. उभय पक्ष को बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. सरफेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस व अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी को एक माह का समय दिया जा चुका है और अधिक समय नहीं दिया जा सकता है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 13,00,000/– रूपये का ऋण दिया है जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी बैंक के पस गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल रू. 12,84,290.96/– रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगणों को दिनांक 04/02/2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण मे वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एव अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 मे प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी प्रभू दयाल धानका पुत्र श्री सुल्तान धानका के स्वामित्व की भूमि जेडीए पट्टा नं. 2188, प्लाट नं. एस–226, महेश नगर, एस ब्लॉक, शिव मन्दिर के पास, जयपुर क्षेत्रफल 50 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे मे हो तो प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने मे सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।

8. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।

9. आदेश आज दिनांक 15.04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

15/4/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर